2012/0006

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 429 / 2012

उनवान

1. दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 श्री घांसीलाल जाति ब्राहमण निवासी आंवा तहसील कनवास जिला कोटा
2. श्रीमति शांति बाई पत्नि स्व0 श्री घांसीलाल
3. श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी श्री दुर्गाशंकर जाति ब्रा0 नि0 आवां तहसील कनवास जिला कोटा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1 भंवरलाल वल्द रामचन्द्र जाति माली निवासी आवां तहसील कनवास
2. रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्रा0
3. श्यामस्वरूप शर्मा पुत्र हरिशंकर जाति ब्रा0
4. भेरूलाल मेघवाल पुत्र श्री गेन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा
5. ग्राम पंचायत आवां, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आवां तहसील कनवास जिला कोटा

(रिस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री एन.के गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री महेश तिवारी (अभिभाषक रेस्पो01 से 3)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2012
ग्राम पंचायत आवां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक : 26.12.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत आवां पंचायत समिति सांगोद के आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरूद्व इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत आवां ने रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर अपीलान्ट क्रम 1 को रास्ता खुलासा करने का तथ बडे तालाब के पीछे के माल का आम रास्ता गोशाला के गेट के सामने से लगाकर बाबर बावडी तक खुलासा कर रास्ता राजस्व रेकार्ड मे अमल करने का आदेश दिये जाने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही अपीलान्टान की अनुपस्थिति मे पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि अपीलान्ट नं0 1 व 2 के खाते एवम कब्जे काश्त मे ग्राम आवां तहसील सांगोद मे दिगर आराजीयात के साथ साथ ख0 नं0 1746 / 2686 की 0.10 हे0, ख0 नं0 1747 की 2.53 है0, ख0 नं0 1749 की 0.40 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित है, उपरोक्त भूमि मे होकर रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के खाते की भूमि मे आने जाने का कभी भी कोई रास्ता कायम नही रहा है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 के खाते की भूमि ग्राम किशोरपुरा मे स्थित है जिस पर आने जाने का रास्ता सदैव से ही किशोरपुरा आम रोड पर होकर रहा है । अपीलान्ट नं0 2 अपीलान्ट नं0 1 के साथ साथ उपरोक्त आराजीयात की खातेदार टेनेन्ट एवं काबिज है तथा अपीलान्ट नं0

3 ख0 नं0 1746 पर बहेसियत खातेदार टेनेन्ट वेधानिक रूप से काबिज है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही मे अपीलान्ट नं0 2 व 3 को पक्षकार नही बनाया गया है । उन्हे पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उनके खाते की भूमि मे होकर नया रास्ता कायम करने मे त्रुटि की है । धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल प्रचलित रास्ते पर अवरोध कारित करने पर उसे हटाया जा सकता है नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून जाकर नया रास्ता कायम किये जाने मे त्रुटि की है । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पीसी प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण नं0 2 व 3 को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है, उक्त आदेश से प्रार्थीगण नं0 2 व 3 के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । प्रार्थी क्रम 2 व 3 उक्त आदेश जेर अपील मे एग्रीव्ड होने के कारण प्रार्थी नं0 1 के साथ मिलकर अपील पेश कर रहे है । अतः अपीलान्टान को अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई रेस्पो0 नं0 1 लगायत 4 की ओर से श्री महेश तिवारी एड0 ने वकालत नामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत नया रास्ता कायम करने के आदेश जारी किये गये है । राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्जनहीं है तथा बिना अपीलांट की सुनवाई किये नया रास्ता कायम करने में त्रुटि की गई है । अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाये । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2002 आर0आर0डी0 पेज 7847, 1997 आर0आर0डी0 पेज 145 उद्धरण पेश किये जिनके अनुसार भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता था । रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक का बहस में तर्क था कि अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील के तथ्यों के आधार पर ही सिविल न्यायालय में भी उनके द्वारा नियमित वाद दायर किया गया जो विचाराधीन है । सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के चलते हुये इस न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल सकती है । अतः इसे समाप्त किया जाये । इसके संबंध में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1987 आर0आर0सी0 पेज 326 पेश किये तथा बहस में निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तथा सिविल न्यायालय में एक साथ कार्यवाही की जा सकती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत टैम्प्रेरी रिलीफ (तात्कालिक अनुतोष) दिया जाता है जबकि उसका अंतिम निस्तारण सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर किया जा सकता है । अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाये ।

4. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । ग्राम पंचायत, आवां में ग्रामवासियों द्वारा आम रास्ता बंद करने पर उसे बहाल करने हेतु दिनांक 09.06.2012 को प्रार्थना–पत्र पेश होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का के ग्रामवासियो की उपस्थिति मे दिनांक 09.06.2012 को कायम मौका पर्चा अनुसार आराजी ख0नं0 1746, 1746/2687 एवं 1747 की बीड़ के सहारे–सहारे आम रास्ता होना बताया है । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2012 में भी अपीलांट संख्या 1 के खेतों से रास्ता गुजरना अंकित किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते को खुलासा कराने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । उक्त ख0नं0 1746, 1746/2887 व 1747 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है परन्तु मौका निरीक्षण के वक्त अपीलांट का उपस्थित होना नहीं पाया जाता । अतः यह स्पष्ट है कि बिना अपीलांट –प्रभावित पक्षकार को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । प्रभावित पक्षकार की सुनवाई किए बिना उसके विरूद्ध किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए ।

5. अपीलांट द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत 2002 आर0आर0डी0 पेज 747, 1997 आर0आर0डी0 पेज 145 नया रास्ता कायम करने से संबंधित होने से इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं । अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के संबंध में दावा बाबत घोषणा आदेशात्मक व अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास में पेश किया है जिसमें भी विचाराधीन अपील से संबंधित तथ्य ही अंकित करते हुये अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है । अपीलांट द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत आर0आर0सी0 1987 पेज 326 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण एक तात्कालिक अनुतोष के रूप में है जिसका अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के अनुसार ही होगा । प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश से संबंधित एक वाद सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है परन्तु उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को देखते हुये इसकी सुनवाई इस न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मुकदमें की कार्यवाही ड्रोप करने अथवा स्टे करने खारिज किया जाता है । यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश बिना प्रभावित खातेदार अपीलांट की सुनवाई किये पारित किया गया है । अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि समस्त प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा